

कार्यकारी सार

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-ए पी डी आर पी) को XI योजना की अवधि में जारी त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी) के क्रम में दिसम्बर 2008 में प्रारम्भ किया गया था। वितरण को मजबूती प्रदान करने वाली परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु आवश्यक पूर्व शर्तों के रूप में कार्यक्रम में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए टी एंड सी) हानियों में सतत कमी, सटीक बेसलाइन आँकड़ों के संग्रहण हेतु एक विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली की स्थापना तथा ऊर्जा लेखे के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रावधान था। अन्तिम उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना का यह भी लक्ष्य था कि सभी विद्युत परिसम्पत्तियाँ सुमेलित हों, सभी उपभोक्ताओं की अनुक्रमणिका निर्मित हो तथा उनके मीटर लगे हों जिससे कि बिल-प्रक्रिया की दक्षता बेहतर हो।

इसे **भाग ए** (उपभोक्ता से सम्बन्धित परियोजना क्षेत्रों हेतु बेसलाइन आँकड़ों को निर्मित करना, सूची बनाना, मीटर लगाना, ऑटोमेटिक डाटा लागिंग आदि, कुल वितरण नेटवर्क की परिसम्पत्ति का मिलान करना, मीटर रीडिंग, बिलिंग तथा संग्रहण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ऐप्लीकेशन, विद्युत के लेखे बनाना तथा इसकी लेखापरीक्षा, 4 लाख की जनसंख्या से अधिक के चयनित शहरों में पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा आँकड़ों के अधिग्रहण की परियोजनाओं का कार्यान्वयन आदि) तथा **भाग बी** (नियमित वितरण को मजबूती प्रदान करने वाली परियोजनाएँ) के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा प्राप्त किया जाना था। योजना में **भाग सी** के माध्यम से विद्युत वितरण प्रायोगिकी कार्मिकों का तथा **भाग डी** के अन्तर्गत कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना का भी प्रावधान था। प्रायोगिकियों को परियोजनाएँ टर्न-की आधार पर कार्यान्वित करनी थीं।

योजना में भाग ए की परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान था जबकि भाग बी परियोजनाओं के सन्दर्भ में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (विशिष्ट श्रेणी के राज्यों हेतु 90 प्रतिशत) ऋण भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था तथा शेष धनराशि की व्यवस्था समकक्ष निधि के रूप में अन्य स्रोतों जैसे कि पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन/रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन/बैंक आदि से की जानी थी। योजना में भारत सरकार के ऋण को अनुदान में परिवर्तित करने का भी प्रावधान था बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी होती हों।

परियोजनाओं को प्रायोगिकियों द्वारा राज्य स्तरीय वितरण सुधार समितियों के माध्यम से संचालन समिति को प्रस्तुत किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर स्वीकृत किया जाना था। योजना में प्रावधान था कि जारी की गई धनराशि तथा उसके वास्तविक उपयोग का विवरण वर्ष की समाप्ति पर विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम हैं:

वित्तीय प्रबन्धन

- XI तथा XII योजना अवधि (2008–17) में योजना हेतु ₹28,424 करोड़ की सकल बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया था। इस हेतु विद्युत मंत्रालय ने वास्तव में 2008–09 से 2014–15 के दौरान ₹12,415.04 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया था जो कि विचारित धनराशि का मात्र 43.68 प्रतिशत था। आर-ए पी डी आर पी योजना को दिसम्बर 2014 से इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम में समाविष्ट कर दिया गया है तथा 2014–15 के बाद आर-ए पी डी आर पी हेतु अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। 2008–15 के दौरान आर-ए पी डी आर पी योजना हेतु जारी की गई वास्तविक धनराशि मात्र ₹8,175.45 करोड़ थी जो कि योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति को सूचित करती है।

(पैरा 3.1)

- योजना का कार्यान्वयन करने वाली कई राज्य प्रायोगिकियों द्वारा समकक्ष धनराशि का निर्धारित अवधि में प्रबंध नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोगिकियों को दी गई समकक्ष धनराशि के ब्यौरे तैयार नहीं किए।

(पैरा 3.3.3)

- कुछ राज्यों में आर-ए पी डी आर पी निधियों के विपथन तथा योजनाओं के परस्पर व्यापन के मामले पाए गए।

(पैरा 3.5 एवं 3.6)

- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने उपयोगिता प्रमाणपत्रों के दो सेट विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किए; एक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोगिकियों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल धनराशि को इंगित करता है तथा दूसरा प्रायोगिकियों द्वारा समय-समय पर प्राप्त धनराशि की उपयोगिता को इंगित करता है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के दोनों सेटों में काफी विसंगति थी; पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों ने इंगित किया कि मार्च 2016 तक ₹ 8,606.62 करोड़ जारी किए गए जबकि प्रायोगिकियों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र इंगित करता है कि मात्र ₹ 4,155.88 करोड़ (कुल जारी की गई धनराशि का 49.29 प्रतिशत) का उपयोग हुआ।

(पैरा 3.8)

- यह पाया गया कि चयनित नमूने की 198 भाग ए, 317 भाग बी तथा 47 पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं आँकड़ा अधिग्रहण परियोजनाओं में केवल पहली किस्त ही जारी की गई है जिसके कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने पर संदेह होता है।

(पैरा 3.3.1)

- ऋण से अनुदान में रूपांतरण के प्रावधान का किसी भी प्रायोगिकी द्वारा प्रयोग नहीं किया गया चूँकि किसी भी राज्य में कोई भी भाग ए तथा भाग बी परियोजना पूर्ण नहीं हुई थी।

(पैरा 3.10)

कार्यक्रम कार्यान्वयन

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक गतिविधियों को अंतिम रूप देने में 13 माह तक की देरी हुई।

(पैरा 4.1)

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को मॉडल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप नहीं बनाया गया जिसके कारण परियोजना के कार्यक्षेत्र में कार्य की अग्राह्य वस्तुएँ सम्मिलित हो गई तथा कार्य की आवश्यक वस्तुएँ छूट गयीं। परियोजना बनाते समय किये गए पूर्वानुमानों को मूल्यांकन के दौरान स्वतन्त्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया। संचालन समिति के अनुमोदन के बिना परियोजनाओं की लागत में संशोधन के मामले पाए गए। कुछ मामलों में, राज्य वितरण सुधार समितियों की अनुशंसाओं के बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का मूल्यांकन व अनुमोदन संचालन समिति द्वारा कर दिया गया था जो कि निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन था।

(पैरा 4.2 एवं 4.7)

- राज्यों में कार्यान्वित होने वाले कार्यों में पुनर्निविदा के कारण तथा एक जैसी वस्तुओं के लिए अलग-अलग दरों पर ठेकेदारों को कार्य प्रदान करने के कारण अतिरिक्त व्यय पाया गया।

(पैरा 4.10 एवं 4.11)

- गुणवत्ता नियंत्रकों में कमियाँ जैसे कि विशिष्टताओं से अलग वस्तुओं की प्राप्ति, वस्तुओं/प्रणालियों की असफलता जिसके कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी तथा उपयुक्त गारंटियों को प्राप्त न करना पाया गया।

(पैरा 4.13.1, 4.13.2 एवं 4.14)

- प्रायोगिकियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किए गए प्रयास अपर्याप्त थे तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

(पैरा 4.15)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य प्रायोगिकियों ने भाग ए की कई परियोजनाओं को 'गो लाइव' घोषित किया हुआ था जबकि विद्युत मंत्रालय के पास उपलब्ध परियोजना विवरणों के अनुसार कोई भी परियोजना तृतीय पक्ष स्वतन्त्र मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जो परियोजना पूर्ण होने से पहले अपेक्षित था। जबकि, 80 प्रतिशत नगरों, जहाँ भाग ए परियोजनाएँ कार्यान्वित की गयीं थीं, को 'गो लाइव' घोषित किया गया था, स्वीकृत लागत का मात्र 50 प्रतिशत प्रायोगिकियों को जारी किया गया। कई ऐसी परियोजनाओं को 'गो लाइव' घोषित किया गया था जिनमें अनुमोदित परियोजना लागत की मात्र 30 प्रतिशत धनराशि जारी की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि 'गो लाइव' की घोषणा स्वयं राज्यों द्वारा बिना विद्युत मंत्रालय के सत्यापन अथवा अनुमोदन के की गई थी।

(पैरा 4.16)

कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ

- लेखापरीक्षा में लिए गए नमूनों की जाँच में, कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ या तो बेसलाइन के सापेक्ष बढ़ गयीं थीं अथवा 'गो लाइव' घोषित किए गए 100 से अधिक नगरों में निकाली नहीं जा सकीं। यह पाया गया कि कई राज्यों में परियोजनाएँ प्रारम्भ होने से पहले बेसलाइन आँकड़े ही संग्रहित नहीं किये गये थे।

(पैरा 5.1 एवं 5.2)

- विद्युत मंत्रालय द्वारा संसद को प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेजों में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में भिन्नताएँ पायी गयीं। हालाँकि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों की गणना हेतु पद्धति निर्मित की गयी थी फिर भी समान रूप से इसका अनुपालन नहीं किया गया जिससे कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के आकलनों में भिन्नता आई।

(पैरा 5.3 एवं 5.4)

- ऊर्जा का लेखा-जोखा व इसकी लेखापरीक्षा 12 राज्यों में नहीं की जा रही थी तथा अन्य 13 राज्यों में लेखा व लेखापरीक्षा के आँकड़े बिना मशीन की सहायता के संग्रहित किये जा रहे थे जिससे उनकी विश्वसनीयता तथा सटीकता पर प्रश्न उठता है। ऊर्जा लेखा एवं लेखापरीक्षा न कराने का मुख्य कारण भाग ए परियोजनाओं का पूरा न होना तथा आँकड़ों के संग्रहण हेतु विभिन्न मॉड्यूलों को एकीकृत न करना था।

(पैरा 5.5)

- फीडरों, वितरण ट्रॉसफॉर्मरों तथा उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग नहीं की गई।

(पैरा 5.5.1)

- बिजली की चोरी रोकने हेतु किये गये प्रयास जैसे कि विशेष न्यायालय तथा सतर्कता दस्ते पर्याप्त तथा प्रभावशाली नहीं थे।

(पैरा 5.6.1)

उपभोक्ता संतुष्टि

- व्यावसायिक गतिविधियों जैसे बिलिंग, संग्रहण आदि का कम्प्यूटरीकरण अपूर्ण रहा। कई राज्यों में प्रायोगिकियों द्वारा ग्राहक सेवा प्रणाली जिसमें कम्प्यूटरीकृत लागिंग, ट्रेकिंग तथा ग्राहक निवेदनों को सुलझाना सम्मिलित है, पूर्णतः स्थापित नहीं की गई।

(पैरा 6.1. एवं 6.2)

- कुछ राज्यों में, योजना के प्रावधानों के अनुसार सभी सेवा कनेक्शन उच्च सटीकता वाले/छेड़छाड़ रहित मीटर फिक्स/बदले नहीं गए। कुछ राज्यों में उचित टेल एण्ड वोल्टेज की भी आपूर्ति नहीं की गई।

(पैरा 6.3. एवं 6.4)

निगरानी एवं मूल्यांकन

- राज्य वितरण सुधार समितियों द्वारा योजना की निगरानी में कमियाँ पायी गयीं।

(पैरा 7.2)

अनुशासण

1. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रायोगिकियाँ धनराशि जारी होने से पूर्व समकक्ष धनराशि को तय कर लें।
2. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सम्बन्धित प्रायोगिकियाँ उपयोगिता प्रमाण पत्र को सामान्य वित्तीय नियमों में दी गई समयसीमा के अनुसार प्रस्तुत करें।
3. मंत्रालय को प्राप्त नहीं किए गए माइलस्टोनों के कारणों तथा उस पर की गई कार्यवाही के साथ-साथ राज्य प्रायोगिकियों द्वारा तय किये गये लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त किये गये माइलस्टोनों को सूचित करने की प्रक्रिया विकसित करने पर विचार करना चाहिये।
4. मंत्रालय को 100 प्रतिशत मीटर लगाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिये जिससे कि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के बेसलाइन आँकड़े सत्यापित हों, कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का वार्षिक सत्यापन हो तथा ऊर्जा का प्रभावशाली लेखा निर्माण एवं लेखापरीक्षा हो सके।

5. मंत्रालय परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर विशेष न्यायालय तथा सतर्कता दस्ते स्थापित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित कर सकता है जिससे कि अपराधों की शीघ्र सुनवाई हो एवं बिजली चोरी रोकी जा सके, जिससे वाणिज्यिक नुकसान कम हों।
6. वितरण सुधार समिति तथा संचालन/पुनरीक्षण समिति के स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिये जिससे कि परियोजनाएँ समय पर पूर्ण हों।